

## 69A Patta

1. An Affidavit In Prescribed Form - 2/हलफनामा निर्धारित प्रपत्र 2 \*
2. An Indemnity Bond in Prescribed Form - 3/निर्धारित प्रपत्र 3 में क्षतिपूर्ति बांड \*
3. Map Of Surrendered Land Showing approach Road and Key Plan/समर्पण भूमि का नक्शा दृष्टिकोण सड़क और मुख्य योजना दिखा रहा है \*
4. If more than one person lives separately on the same plot on the ground floor, first floor and second floor, then in the entire building plan, floor wise, they will attach a map showing their area and all the people should also attach mutual consent letter./यदि एक ही भूखण्ड पर एक से अधिक व्यक्ति भूतल, प्रथमतल व द्वितीय तल पर पृथक-पृथक रहते हैं तो सम्पूर्ण बिल्डिंग प्लान में तल वाईस अपना-अपना एरिया दर्शित करते हुए मैप संलग्न करेंगे तथा सभी लोग आपसी सहमति पत्र भी संलग्न करें।
5. नगरीय क्षेत्र में राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर-मुमकिन आबादी भूमि एवं शहर का चार-दिवारी एवं पुराना आबादी क्षेत्र, सिटी-सर्वे क्षेत्र, ग्राम पंचायत का पट्टा क्षेत्र, कस्टोडियन का पट्टा क्षेत्र स्थित है। उक्त क्षेत्र में निम्नलिखित पुफ ऑफ राईट निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है-
  - (क) रियासतकालीन समय से राजा/जागीरदार/ठिकानेदार द्वारा जारी किये गये पट्टे/रजिस्ट्रीयों/दानपत्र/बकशीसनामा/बही पत्र/तत्समय के अन्य कोई दस्तावेज एवं राज्य अभिलेखागार/जिला कलक्टर के रिकॉर्ड से प्राप्त पट्टे व अन्य दस्तावेज।
  - (ख) कस्टोडियन के पट्टे।
  - (ग) परकोटा क्षेत्र के सीटी सर्वे में दर्ज निजी स्वामित्व की भूमि/भवन।
  - (घ) पूर्व में नगर निकाय द्वारा जारी स्टेट ग्राण्ट के पट्टे।
  - (ङ) पंचायत जो नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो गई है, द्वारा जारी पट्टा/आवंटन पत्र/अधिकार पत्र इत्यादि।
  - (च) 01.01.1992 से पूर्व के निष्पादित बेचाननामा/पारिवारिक बंटवारानामा/वसीयत जिसके आधार पर आवेदक को पंजीकृत/अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर बेचान किया जा चुका है तथा वर्तमान में मौके पर काबिज/क्रेता (आवेदक) के पास क्रय की पूर्ण लिंक दस्तावेज उपलब्ध है।
  - (छ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में पारित आदेश एवं डिक्री।
  - (ज) नगर निकाय द्वारा दिनांक 01.01.1992 से पूर्व जारी की गई निर्माण स्वीकृतियां।
  - (झ) तस्दीकषुदा किरायानामा जो मकान मालिक द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत किया जाये।
  - (ञ) तस्दीकषुदा किरायानामा जो मकान मालिक द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत किया जाये।
6. बिन्दू संख्या (क) से (ञ) तक उल्लेखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं होने पर निम्न में से कोई दो दस्तावेजों के आधार पर पुफ ऑफ राईट का निर्धारण किया जायेगा

- (i)दिनांक 01.01.1992 से पूर्व के बिजली-पानी के बिल।
- (ii)दिनांक 01.01.1992 से पूर्व की वोटर लिस्ट।
- (iii)दिनांक 01.01.1992 से पूर्व की गृहकर की रसीद।
- (iv)दिनांक 01.01.1992 से पूर्व की नगर निकाय रिकॉर्ड में दर्ज कोई प्रविष्टि।
- (v)आस-पड़ोस के 60 वर्ष से अधिक उम्र के दो व्यक्तियों के शपथ पत्र।
- (vi)आवेदित मकान के पते पर दिनांक 01.01.1992 से पूर्व की प्राप्त डाक।

*(\*)mandataory input*